



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/160
दिनांक: 13 मई 2026

को

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: प्रक्रिया पुस्तिका-भारत-यूके सीईटीए के पैरा 2.88 और पैरा 2.91 में संशोधन।

संदर्भ: सार्वजनिक सूचना संख्या 09/2026-27 दिनांक 11.05.2026।

हम सूचित करना चाहते हैं कि निर्यातकों को भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं **व्यापार समझौते (CETA)** के तहत स्व-घोषणा के माध्यम से मूल प्रमाण पत्र (CoO) प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, अधिकृत एजेंसियों द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी करने की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त, प्रक्रिया पुस्तिका 2023 के अनुच्छेद 2.88 और अनुच्छेद 2.91 के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित संशोधनों का संदर्भ लें:

क) **एचबीपी के अनुच्छेद 2.88 (क) के अंतर्गत - मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) / तरजीही व्यापार समझौते (PTAs) - भारत द्वारा हस्ताक्षरित FTAs की सूची में**, मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) की मौजूदा सूची के बाद क्रमांक xv के साथ एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी गई है:

"xv. भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (भारत-यूके CETA)"

(बी) **एचबीपी 2023- मूल के नियम (वरीयता) के पैरा 2.91 के** तहत, उप-पैरा (ई) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

"2.91 (ई): भारत-ईएफटीए टीईपीए और **भारत-यूके सीईटीए** के मामले में, अधिकृत एजेंसी द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी करने के अतिरिक्त, संबंधित नियतिक द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर भी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।"

सदस्यों से अनुरोध है कि वे विस्तृत सार्वजनिक सूचना यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260513111543.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सादर,
भारत परवे,
उप निदेशक - व्यापार एवं नीति,
प्लेक्सकॉन्सिल